प्रेषक,

एस0 के0 मुखर्जी,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश ।

सामान्य प्रशासन अनुभाग — लखनऊ, दिनांक 7 जुलाई, 1987

विषय:- "अशोक चक्र श्रंखला" के अन्तर्गत पुरस्कृत उत्तर प्रदेश के नागरिकों को नकद पुरस्कार दिया जाना ।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर शासनादेश संख्या-976/तीन-5(1)1/73, दिनांक 15 मई, 1978 तथा शासनादेश संख्या-2864/तीन-5(1)1/73, दिनांक 1 जून, 1979 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय 1 जनवरी, 1986 अथवा इसके पश्चात् "अशोक चक्र" अलंकरण माला से विभूषित किये गये उत्तर प्रदेश के नागरिकों को दिनांक 1 जनवरी, 1986 से निम्नलिखित संशोधित दरों पर एक मुश्त धनराशि तथा एन्यूटी दिये जाने की स्वीकृति सहर्ष प्रदान करते हैं:-

क्रम सं0	शौर्य पदकों के नाम	राज्य सरकार द्वारा वर्तमान में प्रदत्त सहायता ।		1.1.86 से संशोधित धनराशि तथा एन्यूटी की दरें ।	
		एक मुश्त धनराशि	एन्यूटी	एक मुश्त धनराशि	एन्यूटी
1-	"अशोक चक्र"	रु0 10,000	-	रु0 20,000	रु0 200
2-	"कीर्ति चक्र"	रु0 6,000	-	रु0 12,000	रु0 100
3-	"शौर्य चक्र"	रु0 3,500	-	रु0 5,000	रु0 100

2- उपर्युक्त के सम्बन्ध में होने वाला व्यय अनुदान सं0-86 के लेखा शीर्षक "2075-विविध-सामान्य सेवायें-आयोजनेत्तर-800 अन्य व्यय-04 अशोक चक्र श्रंखला के अन्तर्गत अलंकृत पुरस्कारों से विभूषित किये जाने वाले

---2---

उ0 प्र0 के नागरिकों को नगद पुर: - के रूप में एक मुश्त धनराशि के नामें डाला जायेगा ।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं0क्र- ई-6-170/दस-8 दिनांक 30 जून, 1987 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं ।

भवदीय,
ह0/-
एस0 के0 मुखर्जी,
सचिव ।

पृष्ठांकन संख्या-2487(1)/तीन-5(9)/85-सा0प्र0अनु0 तद्दिनांक:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित:-

(1) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
(2) भारत सरकार, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली ।
(3) भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली ।
(4) जनरल आफिसर कमान्डिंग इन चीफ सेन्ट्रल कमान्ड, लखनऊ ।
(5) निदेशक, सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
(6) सैनिक कल्याण अनुभाग-1
(7) वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-6

आज्ञा से,
ह0/-
एस0 एम0 हसनैन,
अनु सचिव ।